न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/2021

1. मुन्शीराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।

:– **वादी**

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
2. सुरजीत पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
3. रामदेवी पत्नी साहबराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
4. जसराज पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
5. राधेराम पुत्र देवीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
6. दलीपसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
7. शांति देवी पत्नी स्व0 श्री देवीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
8. सीमा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
9. लिछमादेवी पुत्री हरलाल पत्नी लिछमण जाति जाट निवासी साहुवाला ।। हाल कुतियाना त0 व जिला सिरसा।
10. इन्द्रवती पुत्री हरलाल पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। हाल जमाल त0 व जिला सिरसा।
11. सन्तो पुत्री हरलाल पत्नी दलीपसिंह जाति जाट निवासी साहुवाला ।। हाल जमाल त0 व जिला सिरसा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल [illegible] श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं व[illegible]बित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है [illegible]णाउ के खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 232 [illegible] बारानी, खसरा सं0 576 [illegible] 0970है0 बारानी कुल 9.0430है0 बारानी खातेदा[illegible]दी के पिता हरलाल [illegible] 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 प्रत्येक 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 जसराज 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 व 6 के पक्ष में व 9 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी मुन्शीराम पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 सुरजीत पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 जसराज पुत्र साहबराम 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 5 राधेराम व प्रतिवादी सं0 6 दलीपसिंह पुत्र देवीलाल संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/2021

1. मुन्शीराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।

:– **वादी**

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
2. सुरजीत पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
3. रामदेवी पत्नी साहबराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
4. जसराज पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
5. राधेराम पुत्र देवीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
6. दलीपसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
7. शांति देवी पत्नी स्व0 श्री देवीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
8. सीमा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
9. लिछमादेवी पुत्री हरलाल पत्नी लिछमण जाति जाट निवासी साहुवाला ।। हाल कुतियाना त0 व जिला सिरसा।
10. इन्द्रवती पुत्री हरलाल पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी साहुवाला ।। हाल जमाल त0 व जिला सिरसा।
11. सन्तो पुत्री हरलाल पत्नी दलीपसिंह जाति जाट निवासी साहुवाला ।। हाल जमाल त0 व जिला सिरसा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बैरवाल: **वादी**
वकील श्री [illegible] : **प्रतिवादीगण**

निर्णय [illegible] **दिनांक :** 31.3.2021

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:46 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 बारानी, खसरा सं0 576 की 5.0970है0 बारानी कुल 9.0430है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता ह[illegible]ल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मंगतु की खातेदारी हुआ करती थी। मंगतु के बाद उक्त भूमि को वादी के पिता हरलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Scanned with CamScanner

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है । वादी के पिता हरलाल की मृत्यु दिनांक 05.02.1999 को हो गई थी। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 11 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 12 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 मुन्शीराम पुत्र हरलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाउ सवंत 2076–79 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र हरलाल नायब तहसीलदार नाथूसरी चौपटा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र हरलाल ग्राम पंचायत साहुवाला ।। प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र साहबराम प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र स्व साहबराम प्रदर्श 5, मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र स्व देवीलाल प्रदर्श 7, मृत्यु प्रमाण पत्र रामस्वरूप प्रदर्श 8, मृत्यु प्रमाण पत्र गौंरा देवी पत्नी हरलाल प्रदर्श 9, शपथ पत्र मय मृत्यु व वारिसान हरलाल प्रदर्श 10 तथा जमावंदी विरासतन ग्राम साहुवाला ।। प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 05.02.1999 को हो गई है लेकिन उसके बाद भी वाद भूमि वादी के पिता हरलाल के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिए उक्त वाद भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाउ सवंत 2076–79 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र हरलाल नायब तहसीलदार नाथूसरी चौपटा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र हरलाल ग्राम पंचायत साहुवाला ।। प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र साहबराम प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र स्व साहबराम प्रदर्श 5, मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र स्व देवीलाल प्रदर्श 7, मृत्यु प्रमाण पत्र रामस्वरूप प्रदर्श 8, मृत्यु प्रमाण पत्र गौंरा देवी पत्नी हरलाल प्रदर्श 9, शपथ पत्र मय मृत्यु व वारिसान हरलाल प्रदर्श 10 तथा जमावंदी विरासतन ग्राम साहुवाला ।। प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 से कृषि भूमि वादी के पिता के नाम होना साबित है तथा प्रदर्श 2 व 3 से हरलाल के जायज वारिसान में पत्नी गौंरा देवी (फौत– प्रदर्श 9), छः पुत्र रामस्वरूप(लाऔलाद फौत – प्रदर्श 3 व 8), रामेश्वर, साहबराम(फौत – प्रदर्श 4, जायज वारिसान रामदेवी पत्नी साहबराम, जसराज पुत्र साहबराम–प्रदर्श–5), देवीलाल(फौत–प्रदर्श 6, जायज वारिसान शान्ति देवी पत्नी देवीलाल, राधेराम पुत्र देवीलाल, सीमा पुत्री देवीलाल–प्रदर्श 7) , मुन्शीराम, सुरजीत व तीन पुत्रीयां लिछमादेवी, इन्द्रावती, सन्तो इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रदर्श 10 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस प्रकार वाद भूमि में हरलाल के नाम दर्ज भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण जायज वारिसान है। प्रदर्श 11 के अनुसार हरलाल की मृत्यु के बाद ग्राम साहुवाला ।। की कृषि भूमि में जरिये विरासतन नामांन्तरण वादी व प्रतिवादीगण का अपने हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 जसराज 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 ता 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 व 6 के पक्ष में व 9 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 बारानी, खसरा सं0 576 की 5.0970है0 बारानी कुल 9.0430है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता हरलाल के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 प्रत्येक 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 जसराज 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 व 6 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 व 6 के पक्ष में व 9 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी मुन्शीराम पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 सुरजीत पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 जसराज पुत्र साहबराम 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 5 राधेराम व प्रतिवादी सं0 6 दलीपसिंह पुत्र देवीलाल संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहा. कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
[illegible]दरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner